

15.05.17

आवेदिक सहित अधि. श्री आर.एस.कुशवाह ।

अनावेदक सहित अधि. श्री बी.आर.चौरसिया ।

आवेदिका के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में बल न देना चाहा है। अतः उक्त आवेदन पर बल न देने से प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर जिला जज गोहद